



आदेश की तिथि ●	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29.04.2024	<p style="text-align: center;">वाद संख्या-65/2023</p> <p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती संगीता कुमारी, ग्राम-बलथर, पो0-रामूडीह, थाना-देवीपुर, देवघर वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर अनुपस्थित।</p> <p>शिकायतकर्ता ने पिछली सुनवाई में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, देवघर द्वारा रखे गये तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा की उन्हें 4000रु० की राशि प्राप्त हो गई है। शिकायतकर्ता ने इस वाद को निष्पादित करने का भी आग्रह किया। शिकायतकर्ता के आग्रह पर आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।</p> <p>आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे।</p> <p style="text-align: center;"> (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> <p style="text-align: center;"> (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p>	